

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)
(पीठसीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- कावेता सोनी R.A.S
उनवान

दावा बाबत रविशंकर मो रानी के मुसलमान बनाम शुद्धमन्दी इकोटे रवा मुसलमान

मुकदमा नम्बर :- 16/17 मुकदमे का प्रकार :- तकासमा
निर्णय दिनांक :- 4-5-18

वादी की ओर से वादीगण रवीशंकर की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादीगण रवीशंकर
की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 4-5-18 को (नाम पीठसीन अधिकारी) कावेता सोनी R.A.S
के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

पक्षकारान ने उपर दिक्री तकासमा रिपोर्ट पर दावा डिक्री किन्हे
जाने हेतु सहमत हो, जिसके आधार पर रवा अन्तिम डिक्री
किया जाता है तकासमा रिपोर्ट निर्णय का अन्तिम नुस्खे देगा
जिसके अन्तिम नुस्खे तहसीलदार पीपलू राजस्व रेकार्ड में अमल
करे।

खर्चा पक्षकारान अपना - अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 4-5-18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सायन
(अध्यक्ष)
पीठसीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रूपया	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल		
जोड़		जोड़

सायन
अध्यक्ष
पीठसीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
पीपलू जिला टोंक (राज.)